सेवा में,

दिनांक: 02 / 04 / 2024

श्रीमान् कार्मिक अधिकारी महोदय,
ग्लोबटेक क्रियेशन प्रा0लि0
म्हाराजगंज (उ0प्र0)

SDO Sukhpura
As per Discuss with you. appoint him on Fakhrajpur S/s as dedicate.

विषय :– **नियोक्ता द्वारा जारी पत्र सं0– 31760 के द्वारा जारी नोटिस के आख्या के सन्दर्भ में।**

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि आपके पत्रांक संख्या– 31760 के द्वारा मुझे संज्ञानित हुआ कि आप द्वारा पत्र में वर्णित आरोप मुझ पे लगाये गये है जिसके सापेक्ष में मेरे द्वारा इस पत्र के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

महोदय, आपको अवगत कराना है कि 9:20 बजे पूर फीडर पर अभईपुर गांव 16 केवीए एवं बहादुरपुर गांव में 25 केवीए परिवर्तक चढ़ाने हेतु शटडाउन लिया गया था जो कि निवादाकर्मी ददन राम द्वारा 11:20 बजे वापस किया गया, 11:20 बजे से 12:20 बजे तक विद्युत आपूर्ति सूचारू रूप से चली तथा 12:20 को मुख्य विद्युत प्रवाह चली गयी पुनः 16:10 बजे पर मुख्य विद्युत प्रवाह प्राप्त हुई परन्तु निविदाकर्मी ददन राम द्वारा 16:00 बजे लिखित रूप से शटडाउन लिया गया जिससे 18:15 बजे लिखित रूप से शटडाउन वापस किया गया।

महोदय, आपको सदर अवगत कराना है कि अवर अभियन्ता महोदय के निर्देशानुसार उक्त निविदाकर्मी श्री ददन राम (कार्मिक अनुरक्षण) को लिखित रूप से शटडाउन लाग शीट पर अंकित कर उनके हस्ताक्षर से उनको दिया गया, जिसका साक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है।

अवर अभियंता महोदय द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मेरे द्वारा रतसड़ उपकेन्द्र के पूर फीटर को 11:20 बजे से 18:15 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित किया गया जबकि उक्त निविदाकर्मी द्वारा दूरभाष पर वार्ता के साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। यद्यपि आवश्यकता होने पर मेरे द्वारा वर्णित साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सकता है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस पत्र का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आपकी महती कृपा होगी।

धन्यवाद!

संलग्नकः– लॉगशीट की छायाप्रति।

प्रतिलिपिः–

प्रार्थी

1. अधीक्षण अभियन्ता वि0वि0म0, बलिया।
2. अधिशासी अधिकारी, वि0वि0 खण्ड द्वितीय, बलिया।
3. उपखण्ड अधिकारी, सुखपुरा, बलिया।

राजेन्द्र कुमार
(राजेन्द्र कुमार)
परिचारक
उपकेन्द्र–रतसड़, बलिया